



**ए०जी०जे०एम०/ सिविल जज सी०/डि०, त्वरित न्यायालय बदायूं**

आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 20550 / 22

मीरा बनाम सोनू आदि

धारा 156(3) दं०प्र०सं०

थाना. कुंवरगांव जिला बदायूं।

**दिनांक 08.02.2024**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थिनी अनुपस्थित, अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थिनी न तो स्वयं उपस्थित है न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रार्थिनी को न्यायालय में उपस्थिति हेतु अन्तिम अवसर दिया गया है, किन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थिनी उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहती है। थाने से प्राप्त आख्यानानुसार उक्त के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। अतः उक्त परिस्थिति में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 156(3) दं०प्र०सं० उसकी अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 156(3) दं०प्र०सं० उसकी अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मनीष कुमार तृतीय)

ए०सी०जे०एम०/सिविल जज (सी०डि०),  
त्वरित न्यायालय, बदायूं।